फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 213 मार्च 2006

कहत कबीर

ऊँच-नीच। आधुनिक ऊँच-नीच।
अखाड़ा-मण्डी। विश्व मण्डी।
होड़-प्रतियोगिता-कम्पीटीशन का
सर्वग्रासी अभियान।
स्वयं मनुष्यों का मण्डी में
माल बन जाना।
यह है वर्तमान समाज व्यवस्था।

कानून और सरकार

('बिगुल', 69 बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड़, निशातगंज, लखनऊ- 226006 के जनवरी-फरवरी 06 अंक में छपे राधामोहन गोकुलजी के लेख के कुछ अंश के अंश हम यहाँ दे रहे हैं।)

.... जो लोग कानून और सरकार का समर्थन करते हैं, मानो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम नालायक पशु हैं, और हम अवश्य ही बदमाशी- अमानुषी कृत्य करेंगे। इसलिये दो- चार आदमियों को डण्डा ले कर अपने सिर पर खड़ा कर देना जरूरी है कि जब हम बदमाशी करें तो वे हमारी पीठ पर तड़ातड़ लगाना आरम्भ कर दें। फिर इन डण्डा लगाने वालों को, यदि कभी उनकी इच्छा हो आये, तो इस बात का भी अधिकार हो जाता है कि अपनी मरजी से मनमाने डण्डे लगायें और नाच नचायें। इस विचार के लोगों को समझ में नहीं आता कि किस श्रेणी में रखा जाये। पशु- पक्षी भी नहीं चाहते कि वे अपने ऊपर हाकिम या जज या पुलिस या जेलर तैनात करें। जंगली मनुष्य जातियाँ भी उस तरह के काम की विरोधिनी नजर आती हैं। हमारा तो ख्याल है कि सिवा इन विचित्र जन्तुओं के दूसरा कोई भी प्राणी सरकार और कानून का स्वागत करने को तैयार न होगा।....

पूँजी के जन्म का इतिहास हम देखते हैं तो जान पड़ता है कि यह भी युद्ध, लूट और दासता से ही पैदा हुई है। छल, दगा और लूट- खसोट ही पूँजी की जननी है।....

लूट- खसोट, छीना- झपट, दासता के फल की रक्षा का बीड़ा उठाने के गुण में कानून भी पूँजी का ही सगा भाई प्रतीत होता है। यह दोनों पारस्परिक सहायता से ही बढे और समुन्नत हुये। कानूनों का समर्थन पूँजी करती है और पूँजी (धन) की रक्षा कानून करता है।.... बलवान और धनवान मिल कर जनता का सर्वस्व अपहरण करते हैं। यह सच है कि कभी- कभी बलवानों का संघर्ष भी होता है; कभी- कभी जनता अपने बल को पहचान लेती है तो वह इनकी मिलीभगत में बाधा डालती है। पर अभी तक धन और कानून का ही हाथ ऊपर रहा है।

जनता को निद्रित रखने के लिये, उसे सदा के लिये अचेत बनाये रखने को धन और बल ने मिल कर पुरोहिती (मजहब) का एक फन्दा तैयार किया। तब धर्मशास्त्रों के नाम से पहिलेपहल कानून बने। इन कानूनों को बनाने और व्यवहार में लाने वाले पुरोहितगण हुये।

राधामोहन गोकुलजी (मृत्यु 1935)

इन्होंने हम को अदृश्य स्वर्ग का प्रलोभन दे कर ऐहिक सुख की सामग्री के प्रति घृणा उत्पन्न कराई और अपना और अपने सहायक धनवानों तथा बलवानों का काम बनाया। संसार के सारे धर्मों का इतिहास आद्योपान्त हमें इसी षड़यंत्र की सूचना दे रहा है।

इस तरह लट्ठ और छल के द्वारा बनाये हुये कानूनों का प्रभुत्व धीरे- धीरे बढा। इनके अधिकार का वृत और बल खूब बढ गया तब इन्होंने कर वसूल करने में कड़ाई की, लोगों को दण्ड देने का विधान किया और लट्ठ के बल अपना मतलब सिद्ध करने लगे। आज इन्हीं अत्याचारपूर्ण कानूनों का संग्रह धर्मशास्त्र के नाम से या राजदण्ड के नाम से हम अपने ऊपर चक्र की तरह सिर काटने को मँडराता देख रहे हैं। इस दुधारी तलवार (मजहबी कायदे और राजकीय कानून) से काला बचता है न कबरा। लोहार, चमार, जुलाहे, धुनिया, किसान, कारीगर आदि सभी श्रमजीवी इस कानून रूपी कोल्हू में रात- दिन पिसते चले जाते हैं। एक ओर स्वर्ग की चाह में लोग अपना और अपने बाल- बच्चों का पेट काटते हैं और मक्के, मदीने, बद्रीनाथ, जगन्नाथ की यात्रा, साधु, पण्डे, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फकीर, दरवेश आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति में, पण्डे पुजारियों के पेट भरने में, मन्दिर और मसजिद के बनाने और उनकी रक्षा में सारा संचित धन लुटा देते हैं। किसान भूखा मरता है. ... एक तरफ कैद, कुर्की, नीलाम का डर है और दूसरी तरफ बदनामी और नरक आदि का भय मारे डालता है। इन चक्की के दो पाटों के बीच में धन को, असल में, कमाने वाली प्रजा रात- दिन पिसी चली जाती है, पर उफ नहीं कर सकती। इन्हीं कानूनों की प्रतिष्ठा करना रात- दिन हमें सिखलाया जाता है। कानून, शान्ति और नियम के नाम पर, जनता की रक्षा के बहाने से मानव जाति का रात- दिन रक्तशोषण करता है। कर, जुर्माना, दक्षिणा का त्रिशूल हमें रात- दिन छेदता ही रहता है।....

अधिकांश राजकीय कानून तो सम्पत्ति की रक्षा के लिये ही होते हैं। धनवानों की मोटरों की 'भों भों' सुन कर निर्धन पैदल चलने वाले पशुओं की तरह इधर- उधर भाग कर जान बचाते हैं। जो कुचले जाते हैं उनके बदले भी मोटर हाँकने वाला गरीब ही दण्ड पाता है। मानो धनवानों के सिवा गरीबों के लिये सड़क हैं ही नहीं। इसी तरह मन्दिरों, मसजिदों, गिरजों में भी अमीरों का खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि स्वर्ग की कुंजी अर्थात् धन जिनके पास नहीं है वह स्वर्ग के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। यह हैं कानून और यह लीला है धर्मशास्त्र और दण्ड- संग्रह की।

अब हम कानूनों की आलोचना जरा अधिक गंभीरता से करना चाहते हैं। वाचक वृन्द! लक्ष- लक्ष कानून जो मनुष्य को नियम पूर्वक चलाने के लिये मौजूद हैं, इनको गहरी दृष्टि से वर्गीकरण पूर्वक देखें तो वे तीन प्रकार के पाये जायेंगे — 1. सम्पत्ति की रक्षा के लिये 2. सरकार की रक्षा के लिये 3. व्यक्तियों की रक्षा के लिये।

विचार कर देखते हैं तो तीनों ही निस्सार और जनता को पीड़ा पहुँचाने वाले यंत्र मात्र हैं। फिर भी हम इन पर जरा गहरी नजर डालते हैं।

साम्पत्तिक रक्षा सम्बन्धी कानून का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति या समष्टि अपने श्रम का धन आप न खा सके। किसान, मजदूर और कारीगर जो उत्पन्न करें उसको लूट कर दूसरे लोगों को ....: पहुँचाया जाये। अगर लाला करोड़ीमल कानून की रू से किसी हवेली के मालिक हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस मकान को लाला करोड़ीमल ने स्वयं अथवा अपने इष्ट मित्रों वा घर वालों की सहायता से बना कर तैयार किया है, जैसे कि जंगलों में ग्रामीण लोग अपने झोंपड़े तैयार करते हैं। लाला करोड़ीमल तो दूसरों से मकान बनवाते हैं और उनको उनके काम के पूरे दाम तक नहीं देते। इसके मूल्य तो सामाजिक हैं क्योंकि अकेले तो वे इसे बना नहीं सकते थे। इस तरह अनेकों के श्रम के फल को एक की वैयक्तिक सम्पत्ति बना देना भूल है। वह वस्तु जिसे समाज ने मिल कर बनाई या पैदा की वह तो समाज की सम्पत्ति हुई। इसी प्रकार सारे ही नगर, पुर, ग्राम, विद्यालय, प्रयोगशालायें, रेल- तार, सड़क जो भी हम देखते हैं सब को गरीब मनुष्यों ने मिल कर बनाया है, तब वह एक की सम्पत्ति कैसे हो सकती है। इसलिये किसी मकान का स्वामी लाला करोड़ीमल को मानना अन्याय है। परन्तु कानून एक सार्वजनिक चीज का स्वामित्व एक को सौंप देता है। यही ढेरों कानूनी पुस्तकों का सारांश है। इसी कानून की रक्षा के लिये पुलिस, फौज, जज, मजिस्ट्रेट और अमलों के झुण्ड हमारी आँखों के सामने फिरते हैं।

(बाकी पेज तीन पर)

कानून हैं शोषण के लिये
छूट है कानून से परे शोषण की

जनवरी की तनखा से देय डी.ए. राशि की घोषणा हरियाणा सरकार ने फरवरी- अन्त तक नहीं की थी। जुलाई 05 से हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर- हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी और महीने में 4 छुट्टी पर 2360 रुपये है।

न्यूनतम वेतन भी नहीं देते

गोदरेज, 14/7 मथुरा रोड़, में हस्ताक्षर 1900 पर और देते 1500 रुपये महीना हैं, ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं; **साधु फोरजिंग**, 140 सै- 24, में ठेकेदार के जरिये रखों को 1850 रुपये तनखा, ई.एस.आई. व पी.एफ. में घोटाला; **मिन्डा स्टैम्पिंग**, 56 डी/2 इन्ड. एरिया, में कैजुअल हैल्पर की तनखा 1500 रुपये और ऑपरेटर की 2000 रुपये, 50 में से 10 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ.; **कारस्टमास्टर**, 64 सै- 6, में ठेकेदार के जरिये रखे हैल्पर की तनखा 1700 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **एस्कोर्ट्स**, प्लान्ट 1, में ठेकेदारों के जरिये रखों की तनखा 1500 रुपये; **विकास फोरजिंग**, 173 सै- 24, में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये; **ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स**, 48- 49 इन्ड. एरिया, में ठेकेदार छोटे ठेकेदारों के जरिये वरकर रखते हैं 1600 रुपये तनखा में, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, शिफ्ट 12 घण्टे की; **फरीदाबाद बोल्ट टाइट**, 43 सै- 4, में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 1500 रुपये; **बोनी पोलीमर**, 37 सै- 6, में हैल्परों की तनखा 16- 1700 रुपये, ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं; **प्रिसिजन स्टैम्पिंग**, 106 सै- 24, में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्पर की तनखा 1500 और कारीगर की 2100 रुपये, हाजरियों में गड़बड़ी; **ओरियन्ट फैन**, 59 सै- 6, में ठेकेदारों के जरिये रखों की तनखा 1800 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, 12 घण्टे की ड्युटी, ओवर टाइम सिंगल रेट से; **निमेक्स इन्टरनेशनल**, 192 सै- 24, में कैजुअल वरकर का वेतन 1550 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **जिन्दल रैक्टीफायर**, 195 सै- 24, में हस्ताक्षर 2360 पर, देते 2000 रुपये हैं, इन 2000 में से ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि काटते हैं; **आदर्श फैब्रिकेटर्स**, 212 सै- 24, में हैल्पर का वेतन 1500 रुपये का तथ्य सार्वजनिक होने पर श्रम निरीक्षक ने फैक्ट्री के दौरे किये, कम्पनी ने कुछ हैल्परों की तनखा 2100- 2300 रुपये की पर बाकी को 1500 ही, हैल्परों से हस्ताक्षर 2360 रुपये पर करवाते हैं;..

नही दी तनखा, शिफ्ट ही 12 घण्टे की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं

हरियाणा टैक्स प्रिन्ट, 21 सै- 25, में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट, 12 घण्टे के 100 रुपये, 650 मजदूर 6 ठेकेदारों के जरिये रखे, अधिकतर को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. की पर्ची नहीं; **सिकन्द लिमिटेड**, 61 इन्ड. एरिया, में दिसम्बर की तनखा 31 जनवरी को दी, जनवरी की 9 फरवरी तक नहीं; **एस.पी.एल. इन्डस्ट्रीज**, 7, 22 व 39 सै- 6, में ठेकेदारों के जरिये रखों को जनवरी की तनखा 14 फरवरी तक नहीं; **एस टैक्स**, 115 डी एल एफ इन्ड., में 12 घण्टे की ड्युटी, दिसम्बर का वेतन 22 जनवरी को दिया, जनवरी का 10 फरवरी तक नहीं; **आर. के. इन्डस्ट्रीज**, 315 सै- 24, में हैल्परों की तनखा 16- 1700 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **सी एम आई**, 71 सै- 6, में दिसम्बर और जनवरी की तनखायें 14 फरवरी तक नहीं; **शिवालिक ग्लोबल**, 12/6 मथुरा रोड़, में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट, अधिकतर की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीज**, सै- 58, में 125 मजदूर – किसी की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं; **इको ऑटो कम्पोनेन्ट्स**, 20 सै- 6, में जनवरी की तनखा 14 फरवरी तक नहीं; **नूकेम**, 54 इन्ड. एरिया, में जनवरी का वेतन 18 फरवरी को का नोटिस; **अल्फा टोयो**, 9 एच सै- 6, में ठेकेदार के जरिये रखों से हस्ताक्षर 7 तारीख को पर तनखा 12 को; **ग्रुप फोर सेक्युरिकोर**, मुख्यालय गुडगाँव, में इधर ई.एस.आई. पूरी तनखा पर काटनी शुरू कर दी है पर पी.एफ. बेसिक पर ही; **हिन्दुस्तान डाई कास्टिंग**, इन्ड. एरिया, में तनखा 1500 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं;....

एक- दो हाजरी और 8- 10 घण्टे ओवर टाइम में गड़बड़ कर साहब खा जाते हैं।"

साधु फोरजिंग वरकर : " प्लॉट 84 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में गियर डिविजन में कहने मात्र के लिये हमें ठेकेदार के जरिये रखा है। हमें 1950 रुपये तनखा बताते हैं और इसमें से ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से पैसे काटते हैं पर हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते, पी.एफ. की पर्ची भी नहीं। हम से रोज 10½ घण्टे की ड्युटी करवाते हैं – 2 घण्टे ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। उत्पादन कार्य में तेल का काफी प्रयोग है पर हमें दस्ताने नहीं देते और हाथ धोने का साबुन भी नहीं। सुपरवाइजर बहुत गाली देते हैं – पेशाब करने जाते हैं तब सुपरवाइजर पीछे- पीछे पहुँच जाते हैं।"

जे.बी.एम. इन्डस्ट्रीज मजदूर : " प्लॉट 269 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में दो ठेकेदारों के जरिये कम्पनी ने 300 वरकर रखे हैं – इनमें से 50- 60 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। फैक्ट्री में 12 घण्टे की ड्युटी तो करनी ही पड़ती है, इधर रोज 16 घण्टे काम करना पड़ रहा है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी 12 घण्टे के दौरान एक कप चाय तक नहीं देती, 16 घण्टे रोकते हैं तब 9 रुपये भोजन के लिये देते हैं। हैल्पर की तनखा 1700 रुपये। तीन- चार महीने से तनखा 13- 14 तारीख को।"

कुछ विस्तार से...

(पेज तीन का शेष)

"ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में से 20 की तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते, पी.एफ. की पर्ची नहीं। फैक्ट्री में तबीयत खराब होने पर गेट पर गार्ड के पास गोली मात्र रहती हैं – इलाज अपने पैसों से करवाना पड़ता है। हमें टैंक का गन्दा पानी पीना पड़ता है क्योंकि कम्पनी टैंक की सफाई नहीं करवाती। फैक्ट्री में भोजन करने के लिये स्थान नहीं है – जमीन पर बैठ कर खाना पड़ता है और बॉयलर का बुरादा भोजन में गिरता रहता है। फैक्ट्री में सिर्फ दो लैट्रीन हैं – लाइन लगानी पड़ती है।

" शंकरा फैब में नोएडा, ओखला, गुड़गाँव, जयपुर से रंगाई के लिये कपड़ा आता है। अनेक रसायन इस्तेमाल होते हैं – ओग्जैलिक एसिड, एसेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिसाइजर, सोफ्नर, कॉस्टिक सोडा, फेविकोल, स्टार्च, हाइड्रोसलफाइड, ब्लीच, रंग, पेस्ट कलर आदि। भारी रासायनिक प्रदूषण से बचाव के लिये मैनेजमेन्ट चश्मा, दस्ताने, मास्क, जूते भी नहीं देती। टी.बी. आदि बीमारियों को लोग शर्म से बताते नहीं और ड्युटी करते- करते इलाज करवाते हैं।

" ई.एस.आई. व पी.एफ. वाले आते हैं पर हम मजदूरों से नहीं मिलते। श्रम विभाग से कोई फैक्ट्री में नहीं देखा है। हाँ, शंकरा फैब में रोज सुबह और शाम पूजा होती है। लाउड स्पीकर लगा रखा है और पण्डित दोनों समय आता है। प्रसाद के नाम पर कम्पनी चूर्ण बाँटती है।"

टालब्रोस मजदूर : "प्लॉट 74- 75 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे हम 150 वरकरों से 12- 12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करवाते हैं – रविवार को 8 अथवा 12 घण्टे। हम में 100 हैल्पर हैं – 8 घण्टे पर महीने के 1725 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। हम में ऑपरेटरों की तनखा 1900- 2100 रुपये – नयों की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। रात को अधिकारी अपशब्द बोलते हैं। सुबह 4½ बजे आधा घण्टे का भोजन अवकाश होता है और गार्ड किसी मजदूर को 5¼ पर लेटे पकड़ लेता है तो पुराने वरकर का पूरा ओवर टाइम (3½ घण्टे) गायब और नये मजदूर का 2 घण्टे का ओवर टाइम काट लेते हैं। हर महीने हैल्परों की

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर सेंटर रूल्स 1956 के अनुसार स्वामित्व व अन्य विवरण का ब्यौरा फार्म नं. 4 (रूल नं. 8)

फरीदाबाद मजदूर समाचार

1. प्रकाशन का स्थान — मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद–121001
2. प्रकाशन अवधि — मासिक
3. मुद्रक का नाम — शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)
4. प्रकाशक का नाम — शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)
5. संपादक का नाम — शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार हों। केवल शेर सिंह

मैं, शेर सिंह, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एव विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनाँक 1 मार्च 2006 — हस्ताक्षर शेर सिंह प्रकाशक

कुछ विस्तार से

श्याम एलॉयज मजदूर : "प्लॉट 40 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में 20- 25 स्थाई, 10- 12 कैजुअल जिनमें बरसों से यहाँ लगातार काम करने वाले भी हैं, 7- 8 ठेकेदारों (कोई भी ठेकेदार पंजीकृत नहीं है) के जरिये रखे 150 वरकर, चौक से लाये जाते 10- 15 डेली वेज, लोडिंग- अनलोडिंग वाले 20, ए बी बी की मोटर बॉडी व एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर की लिफ्टिंग बॉडी बनाने वाले 50- 60 मजदूर काम करते हैं। आठ घण्टे के कैजुअलों को 73- 80 रुपये, ठेकेदारों के जरिये रखों को 45- 65 रुपये – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में सुबह 8½ से रात 9 बजे की शिफ्ट है – ओवर टाइम के 4 घण्टों में 8 घण्टों का उत्पादन दो और 8 घण्टे के पैसे लो! स्थाई को ओवर टाइम पर बेसिक के दुगने पैसे देते हैं पर बेसिक 2000 रुपये से कम ही है।

"लेकिन श्याम एलॉयज में सबसे बड़ी समस्या लैट्रीन- बाथरूम की है। बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं। सीवर के तीन मैनहोल खुले हैं – कभी कोई गन्दगी में सन भी जाता है। स्टाफ की लैट्रीन अलग हैं। पीने के पानी की टंकी का ऊपर मुँह खुला रहता है जिससे भट्टी की कार्बन और शॉट ब्लास्टिंग की धूल पानी में जाती है। कम्पनी टंकी की सफाई भी नहीं करवाती। पिछले वर्ष हैजा फैला था। फैक्ट्री में तो बहुत प्रदूषण है ही, पूरा 7 सैक्टर प्रभावित है। प्रदूषण नियन्त्रण वालों को फैक्ट्री में आते ही पुचकार लिया जाता है। वैसे श्रम विभाग से भी हर महीने निरीक्षक आता है – सीधा ऑफिस में और वहीं से बाहर। ई.एस.आई. वाले भी सीधे ऑफिस में और बाहर – एक्सीडेन्ट होने पर बैक डेट से ई.एस.आई. कर देते हैं।

"कम्पनी की हालत खराब है कह कर दिसम्बर में श्याम एलॉयज मैनेजमेन्ट और यूनियन ने स्थाई मजदूरों के वेतन में 185 रुपये वृद्धि की घोषणा मजदूरों के सामने की और समझौते पर हस्ताक्षर किये। जनवरी में तनखा मिली तब 150- 155 रुपये की ही वृद्धि थी – प्रति स्थाई मजदूर 30- 35 रुपये गायब। फैक्ट्री में 20- 25 ही स्थाई मजदूर हैं और इन में तोड़- फोड़ के लिये कुछ को पीस रेट ज्यादा का हथकण्डा भी कम्पनी अपनाती है।"

शंकरा फैब प्रोसेस वरकर : "प्लॉट 76 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में 20- 25 मजदूर कम्पनी ने स्वयं रखे हैं और 100 को दो ठेकेदारों के जरिये रखा है। हैल्परों को 1800 रुपये और ऑपरेटरों को 2150- 2300 रुपये तनखा ठेकेदार देते हैं। फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – 4 घण्टे ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। दिसम्बर का वेतन 21 जनवरी को जा कर दिया और जनवरी की तनखा आज 12 फरवरी तक नहीं दी है – जरूरी काम से घर जाना पड़ने पर भी हमें पैसे नहीं देते, 1½- 2 महीनों की तनखा छोड़ कर ब्याज पर कर्ज ले कर जाना पड़ता है। एक ठेकेदार, मास्टर और एक सुपरवाइजर बात- बात में धमकी व गाली देते हैं, हैल्परों को हर समय दौड़ाते रहते हैं।

(बाकी पेज दो पर)

✱ राजे- रजवाड़ों के दौर में, बेगार- प्रथा के दौर में मण्डी- मुद्रा का प्रसार कोढ में खाज समान था। छोटे- से ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैण्ड- वेल्स- स्कॉटलैण्ड- आयरलैण्ड में भेड़ों ने, भेड़- पालन ने मनुष्यों को जमीनों से खदेड़ा। कैदखानों में जबरन काम करवाने, दागने, फाँसी देने के संग- संग बेघरबार किये गये लोगों को दोहन- शोषण के लिये दूरदराज अमरीका- आस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर जबरन ले जाया गया। उन स्थानों के निवासियों के लिये तो जैसे शामत ही आ गई हो। गुलामी जिनकी समझ से बाहर की चीज थी उन अमरीकावासियों के कत्लेआम किये गये। अफ्रीका से गुलाम बना कर लोगों को अमरीकी महाद्वीपों में काम में जोता गया। ✱ फैक्ट्री- पद्धति ने मण्डी- मुद्रा के ताण्डव को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री- पद्धति को भाप- कोयले ने, भाप- कोयला आधारित मशीनरी ने स्थापित किया। इसके संग दस्तकारी और किसानी की मौत, दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत आरम्भ हुई। छोटे- से ग्रेट ब्रिटेन के कारखानों में 6- 7 वर्ष के बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम में जोता गया और ... और बेरोजगार बने- बनते लाखों लोगों के लिये अनजाने, दूरदराज स्थानों को पलायन मजबूरी बने। ✱ फ्रान्स- जर्मनी- इटली.... में फैक्ट्री- पद्धति के प्रसार के संग वहाँ भी आरम्भ हुई दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत लाखों को मजदूर बनाने के संग- संग यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों को खदेड़ना भी लिये थी। अमरीका... आस्ट्रेलिया... लोगों से "भर गये"। ✱ बिजली ने रात को भी काम के लिये खोल दिया। फैक्ट्री- पद्धति ने हमारी नींद ही नहीं उड़ाई बल्कि मारामारी का वह अखाड़ा भी रचा कि 1914- 19 के दौरान ढाई करोड़ लोग और 1939- 45 के दौरान पाँच करोड़ लोग तो युद्धों में ही मारे गये। ✱ अब फैक्ट्री- पद्धति में यह इलेक्ट्रोनिक्स का दौर है। फैक्ट्री- पद्धति का प्रसार पृथ्वी के कौने- कौने में और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। इस दौर में एशिया- अफ्रीका- दक्षिणी अमरीका मेंदस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत तीव्र गति से हो रही है। भारत के, चीन के करोड़ों तबाह दस्तकार- किसान कहाँ जायें? इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा दुनियाँ- भर में बेरोजगार कर दिये गये, बेरोजगार किये जा रहे करोड़ों मजदूर कहाँ जायें? **इसे राधामोहन गोकुलजी के "कानून और सरकार" के संग देखें।**

कानून और सरकार (पेज एक का शेष)

सारे संसार के कानूनों में आधे से अधिक दीवानी कानून हैं जिनका काम है कि जनता की सम्पत्ति छीन कर कुछ खास व्यक्तियों के हवाले कर दें। बहुत से फौजदारी कानून भी इसी अत्याचार की सहायता को बनाये गये हैं। मालिक और नौकर का भेद बना कर थोड़े से आदमियों के लिये मानव समाज को लूटा जाता है। जो मकान बनाते हैं उनको ऋतु की क्रूरता से रक्षा पाने के लिये चार इंच भी जगह नहीं मिलती और थोड़े से लोग कानून की हिमायत से बड़े- बड़े महलों में रहते हैं।

.... समस्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों के बड़े- बड़े मोटे पोथे जिन से जजों की मेज शोभा पाती हैं, जिन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ, कौंसल, बैरिस्टर, वकील लोग लिये फिरते हैं; कुछ अर्थ नहीं रखते, सिवा इसके कि मानव जाति के श्रम के फल को छीन कर थोड़े से ठेकेदारों के हाथ में सौंप दें। इन कानूनों, वकीलों और जजों की तनिक भी आवश्यकता हमें नहीं है। इनके अन्त होने से ही मनुष्य जाति को सुख हो सकता है। जिस दिन मनुष्य जाति कानून और उनके भाष्यों का एकदम त्याग कर देगी उसके सुख का द्वार खुल जायेगा, संसार में शान्ति फैलेगी और प्राकृतिक नियम एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना काम करने लगेंगे। जनता के लिये कानूनों का सदुपयोग यही है कि वह इन्हें प्रशान्त महासागर के पेट में सदा के लिये शान्तिपूर्वक बैठने का सौभाग्य प्रदान करे।

दूसरे प्रकार के कानून जो स्वयं सरकार की रक्षा के लिये हैं, उनकी विचित्रता का तो कुछ कहना ही नहीं। सरकार कानून की रक्षा करती है और कानून सरकार की रक्षा करते हैं। पुलिस किसी को कितना भी और किसी तरह सतावे, उसे और उसकी निर्मात्री तथा भत्री सरकार को नेकनीयत कह कर छोड़ दिया जाता है।

लाखों में एक बार कभी किसी सरकारी नौकर को दण्ड होता होगा, सो भी उसके व्यक्तिगत अपराध के लिये। किन्तु पुलिस के विरुद्ध किसी ने मुँह खोला कि कानून का सारा संग्रहालय और सरकार का सारा कोष इस बिचारे फरियादी को पीसने के लिये फौरन खोल दिया जाता है। सरकारी नौकर को, वह चाहे जज हो, सेना या पुलिस का अफसर हो, या और कोई कर्मचारी हो, उसके दोषी या निर्दोषी होने का विचार किये बिना ही, उसे बचाने की कोशिश करना कानून और सरकार का धर्म होता है। यही सरकार की रक्षा है। अगर कानून और सरकार की रक्षा के ढोंग के विषय में बाल की खाल निकाली जाये तो एक पोथा सहज ही में तैयार हो सकता है। दूसरों के रक्षण और भक्षण के लिये तो कानून की जरूरत पड़ती है किन्तु सरकार के संरक्षण और सरकार के विरुद्ध मुँह खोलने वालों के लिये किसी भी कानून और न्यायालय की जरूरत नहीं होती, सरकार के पास सर से पैर तक अस्त्र- शस्त्र से सुसज्जित भाड़े के अत्याचारी और घातक हरदम तैयार रहते हैं, इनको इशारा किया गया कि आदमी तुरन्त पकड़ कर स्वर्ग भेज दिया जाता है या जेल में अस्थिपंजर बनाया जाता है, या देश बाहर निकाला जाता है, या नजरबन्द के नाम से किसी कोने में सड़ाया जाता है। इस तरह सरकार, कानून, सरकारी प्रतिष्ठा और कानूनों की महत्ता की रक्षा का दृश्य हम भू- मण्डल के समस्त राष्ट्रों में देख रहे हैं।....

दिल्ली से -

जुलाई- दिसम्बर 05 के दौरान भाव बढने को आधार बता कर दिल्ली सरकार ने पहली फरवरी 06 से महँगाई भत्ते में 105 रुपये की वृद्धि की है। डी.ए. के इन 105 रुपयों से 1.2.06 से दिल्ली में 8 घण्टे ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर महीने में अकुशल मजदूर को 3271 रुपये, अर्ध- कुशल श्रमिक को 3437 रुपये, कुशल मजदूर को 3695 रुपये दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन हैं। लिपिक एवं गैर- तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ में मैट्रिक से कम के लिये 3464 रुपये, मैट्रिक पास परन्तु स्नातक नहीं के लिये 3719 रुपये, स्नातक एवं अधिक के लिये 4031 रुपये अब दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा हैं। दिल्ली में 1.2.06 से 8 घण्टे ड्युटी के बदले अकुशल मजदूर को 125 रुपये 80 पैसे, अर्ध- कुशल को 132 रुपये 20 पैसे, कुशल मजदूर को 142 रुपये 10 पैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दिहाड़ी हैं।

एल.एम. सागर एक्सपोर्ट मजदूर : "ओखला फेज- 1 में बी- 48, बी- 237, बी- 242, डी- 116 प्लॉटों में स्थित फैक्ट्रियों का संचालक जग सागर था पर इधर अब कैलाश अग्रवाल व अमित अग्रवाल हैं। नये साहब कह रहे हैं कि कम्पनी को मुरादाबाद ले जायेंगे। इन दो महीनों में तोड़- तोड़ कर, एक साथ नहीं बल्कि अकेले- अकेले बुला कर गुण्डागर्दी से 250 स्थाई मजदूर निकाल दिये हैं। कुल 1500 स्थाई मजदूरों की नौकरी दाँव पर है और बी- 48 में 13 फरवरी को 100 स्थाई मजदूरों का गेट रोक कर मैनेजमेन्ट ने आक्रमण बोल दिया है। कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे अधिकतर वरकरों को 28- 30 जनवरी को वैसे ही निकाल दिया।

" फैक्ट्रियों पर बोर्ड भले ही एल.एम. सागर एक्सपोर्ट के लगे हैं पर दस्तावेजों में जे.सी. टैक्सटाइल्स, के.के. एपरेल्स, मनीष एपरेल्स, डी.बी. गारमेन्ट्स, सोनू इन्टरप्राइजेज नाम भी हैं। बी- 48 में फिनिशिंग विभाग के जिन 100 मजदूरों का गेट रोका है उन्हें गेट पर चिपकाये पर्चों में मैनेजमेन्ट ने इस- उस- उस कम्पनी के दिखाया है। अलग- अलग नामों का इस्तेमाल मैनेजमेन्ट हेराफेरी और गबन के लिये करती रही है। मजदूर का नाम कभी मनीष एपरेल्स तो कभी के.के. एपरेल्स में रखने का जंजाल भविष्य निधि में पी.एफ. नम्बर बदलने के समय कुछ उघड़ा। एक से दूसरी कम्पनी के खाते में नाम डालने के दौरान बी- 48 में ही 100 मजदूरों की 11 से 15 महीनों की भविष्य निधि की राशियाँ जमा नहीं करवाई गई जबकि हर महीने मजदूरों के वेतन से पैसे काटे गये। मामला उजागर होने पर कम्पनी ने नौकरी छोड़ चुके परसनल मैनेजर को गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार ठहराया और मजदूरों की तनखा से काटी गई राशि मात्र वापस कर भरपाई की बात की – कम्पनी द्वारा जमा किये जाने वाले हिस्से और सम्पूर्ण राशि पर ब्याज को भूल जाओ। कई नाम से कम्पनी हैं पर सब का परसनल मैनेजर एक व्यक्ति – अब भी यह एक ही व्यक्ति है।

" शनिवार, 11 फरवरी को बी- 48 में फिनिशिंग विभाग के मजदूरों ने नये मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाश अग्रवाल से जनवरी माह की तनखा माँगी तो साहब बोले : 'हिम्मत कैसे हुई तनखा माँगने की ? दो मिनट में एक- एक को बाहर फिंकवा दूँगा।' रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के बाद सोमवार, 13 फरवरी को सुबह 9½ बजे हम ड्युटी के लिये पहुँचे तो गेट पर 5 बन्दूक वाले तथा 15 लाठी वाले खड़े थे और अन्दर हाकियों वाले भी थे। कम्पनी तीन गाड़ियों में इन लोगों को लाई थी। गेट पर फिनिशिंग विभाग के मजदूरों के नाम अलग- अलग कम्पनी के लैटर हैड वाले नोटिसों पर थे और सब में लिखा था कि कर्मचारियों ने मौखिक रूप से हिसाब माँगा है, कम्पनी हिसाब दे रही है। फिनिशिंग विभाग के 100 मजदूरों को बन्दूक- लाठी वालों ने फैक्ट्री के अन्दर नहीं जाने दिया – 150 सिलाई कारीगरों को अन्दर जाने दिया और इन्हें जनवरी की तनखा 13 फरवरी को दी।

" भविष्य निधि में गड़बड़ी उजागर होने पर सिलाई कारीगर एक यूनियन से जुड़े थे – 15 फरवरी को फिनिशिंग विभाग के मजदूरों ने भी उस यूनियन को पैसे दे कर पर्ची कटवाई। यूनियन की शिकायत पर श्रम अधिकारी 16 फरवरी को फैक्ट्री आये – परसनल मैनेजर ने हिसाब देने की ही बात की और कहा कि जो चाहो कर लो नौकरी पर नहीं रखेंगे। फिर 16 फरवरी को ही यूनियन के साथ मीटिंग में डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने मुरादाबाद में बिजली मुफ्त मिलने, कम्पनी वहाँ ले जाने, ओखला मजदूरों को हिसाब देने की बातें की। नोटिस पे, क्षतिपूर्ति, ग्रेच्युटी, बोनस की राशि भी अभी आदि को मुद्दे बना कर दो महीनों में 1500 मजदूरों की स्थाई नौकरी खत्म करने के लिये सौदेबाजी के हालात बना दिये गये हैं।"

फैशन टीम एक्सपोर्ट वरकर : " बी- 26 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में 15- 1600 मजदूर काम करते थे पर 3- 400 की ही ई.एस.आई. व पी. एफ. थी। छुट्टी नहीं, वर्दी नहीं और जब चाहते निकाल देते थे। राहत के लिये हम एक यूनियन से जुड़े। अप्रैल 97 में यूनियन ने हड़ताल की जो डेढ महीने चली – कम्पनी ने हड़ताल के दौरान 300 मजदूर नौकरी से निकाल दिये। यूनियन श्रम विभाग गई – केस अभी तक चल रहा है। हड़ताल के बाद थोड़े- थोड़े कर कम्पनी ने 1997- अन्त तक अधिकतर वरकर नौकरी से निकाले तथा दाँयें- बाँयें काम करवाने लगी। और फिर 1998- अन्त में फैक्ट्री में उत्पादन पूरी तरह बन्द कर कम्पनी ने इमारत किराये पर दे दी। हमें 1997 में नौकरी से निकाला था और श्रम न्यायालय में अभी तक हम मजदूरों की ही गवाही हुई है। कम्पनी की गवाही नहीं हुई है – कभी उपस्थित नहीं होती, कभी जुर्माना दे देती है। ऐसे में 1600 में से श्रम विभाग में गये हम 300 में से कुछ साथी हिसाब ले गये हैं और कुछ ने श्रम न्यायालय आना छोड़ दिया है।"

सीवर में हुई है मौत साथी की
मगर तू मत कर 'राज' आँखें नम
जरा बीड़ी पिला

जी हुजूर
मैं मजदूर हूँ
दिहाड़ी मजदूर
क्या कहा ? दलित ?
क्या आप मेरी जात पूछ रहे हैं ?
वैसे हुजूर
मैं बहुत छोटी जात का हूँ
क्या करेंगे मेरे बारे में जान कर ?
अच्छा, आप रिपोर्टर हैं
मेरे बारे में
अखबार में लिखना चाहते हैं
अखबार में लिखने से भी
क्या होगा हुजूर
हम मजदूर तो हमेशा
मजदूर ही रहेंगे
दुख- दर्द सहते रहे हैं
आगे भी सहते रहेंगे
फिर भी
आप चाहते हैं तो
बता देता हूँ
हमारे लिये तो
रोज कुआँ खोदना
रोज पानी पीना है
बस इसी तरह मरना है
जीना है
बच्चे ससुरे पढते नहीं
बिटिया सयानी हो गई है
उसके विवाह को
पैसों की परेशानी हो गई है
रोजी- रोटी ढूँढने में
हमारी तो जवानी खो गई है
रहने को झुग्गी- झोंपड़ी
खाने को रूखी- सूखी रोटी
पीने को देसी दारू
और घर में लड़ाई- झगड़े
यही हर मजदूर की कहानी हो गई है
हर मजदूर की कहानी हो गई है।

– राज, दिल्ली

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

नोएडा से -

– कम्पनी के कार्य के लिये अपना दुपहिया वाहन इस्तेमाल करने पर कर्मचारियों को एक रुपया 53 पैसे प्रति किलो मीटर के हिसाब से 1998 से दिये जा रहे थे। स्टाफ वाले मन मार कर 2006 में भी इस रेट से पैसे ले रहे थे। इधर एक मजदूर ने तीन रुपये प्रति किलो मीटर की दर से फार्म भरा। इसे देख कर साहब बिफर गये – बोले कि पहले की रेट से ही पैसे मिलेंगे। मजदूर ने कहा कि 1998 में पैट्रोल 22 रुपये प्रति लीटर था और अब नोएडा में 46 रुपये प्रति लीटर है इसलिये पुरानी दर से पैसे नहीं लूँगा। सप्ताह भर की जद्दोजहद के बाद कम्पनी ने 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलो मीटर की नई दर निर्धारित की।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।